आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) विविध अपील वाद सं0– 08/2018 रेणुका देवी –बनाम– राज्य	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

07.02.2020

अभिलेख उपस्थापित। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी के चयन मुक्ति पत्रांक 12, दिनांक 16.01.2018 के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया गया है :–

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का निम्न अभिकथन है :–

1. अपीलार्थी रेणुका देवी का चयन सहायिका के पद पर आँगनबाड़ी केन्द्र गोठवाटांड, पंचायत–रोशनाटुण्डा, अंचल–डुमरी में वर्ष 2005 में हुआ था।

2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी के ज्ञापांक 102 दिनांक 08.02. 2017 द्वारा अपीलार्थी को निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर कारणपृच्छा किया गया कि क्यों नहीं आपको चयनमुक्त कर दिया जाय :–

   i. कार्य में लापरवाही बरतने तथा सेविका से आपसी विवाद।

   ii. वर्ष 2010 में बिना त्याग पत्र समर्पित किये तथा विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किये पंचायत चुनाव, 2010 में मुखिया पद पर चुनाव लड़ना।

3. अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समर्पित किया गया जिसमें मुखिया द्वारा सिफारिश तथा लाभुकों का हस्ताक्षर था। अपीलार्थी ने स्पष्ट किया है कि वह कभी कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरती। पोषाहाण वितरण का कार्य अपीलार्थी का नहीं था। बल्कि यह कार्य सेविका तथा माता समिति के अध्यक्ष का था जिनके संयुक्त खाता में राशि सरकार द्वारा जमा की जाती है। पोषाहार वितरण का आरोप सहायिका पर लगाये जाने के काबिल नहीं है।

4. पंचायत चुनाव, 2010 में सेविका की अनुपस्थिति में केन्द्र बन्द रहने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में पंचायत चुनाव 2010 में चुनाव लड़ने हेतु अनुमति के लिए आवेदन पत्र समर्पित किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मौखिक अनुमति दी गई। तद्नुसार अपीलार्थी चुनाव लड़ी तथा असफल रही। तदुपरांत चयनमुक्ति के पूर्व तक सहायिका का कार्य संपादित करती रही।

5. स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी द्वारा refusal/accepetance की सूचना नहीं दी गई।

राज्य सरकार के पक्ष में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 114, दिनांक 04.07.2019 द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

1. दिनांक 22.04.2017 को महिला पयंवेक्षिका द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र गोइठवाटांड की जॉच की गई तथा प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र में पोषाहार कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं चलाया जाता है।
2. सेविका एवं सहायिका के बीच आपसी झगड़े के नोक झोक में उपस्थिति पंजी फाड़ दी गई।
3. दिनांक 22.04.2017 को महिला पयंवेक्षिका द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र गोइठवाटांड की जॉच की गई तथा प्रतिवेदित किया गया कि केन्द्र में पोशाहार कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं चलाया जाता है।
4. सेविका एवं सहायिका के बीच आपसी झगड़े के नोक झोक में उपस्थिति पंजी फाड़ दी गई।
5. दिनांक 09.06.2017 को पुनः 08:40 बजे पूर्वा0 में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उक्त केन्द्र की जॉच की गई तथा पाया गया कि केन्द्र में एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। अर्थात सहायिका द्वारा बच्चों को बुलाने का कार्य नहीं किया जाता है। ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि सेविका एवं सहायिका दोनों ही पूर्णतः लापरवाह हैं।
6. वर्श 2010 में पंचायत चुनाव में श्रीमती रेणुका देवी द्वारा बिना पद से त्यागपत्र दिये ग्राम पंचायत–रोषनाटुंडा में मुखिया पद हेतु अपना नामांकन कराया गया। इसकी सूचना कार्यालय को नहीं दी गई।
7. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,डुमरी के पत्रांक 114 दिनांक 04.07.2019 द्वारा सहायिका रेणुका देवी को चयनमुक्त करने हेतु अनुषंसा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गिरिडीह को की गई।

8. वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव में श्रीमती रेणुका देवी द्वारा बिना पद से त्यागपत्र दिये ग्राम पंचायत–रोशनाटुंडा में मुखिया पद हेतु अपना नामांकन कराया गया। इसकी सूचना कार्यालय को नहीं दी गई।
9. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,डुमरी के पत्रांक 114 दिनांक 04.07.2019 द्वारा सहायिका रेणुका देवी को चयनमुक्त करने हेतु अनुषंसा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,गिरिडीह को की गई।

–:विचारण व निर्णयः–

1. रेणुका देवी, सहायिका, ऑगनबाड़ी केन्द्र गोठवारटांड, ग्राम+पंचायत–रोषनाटुण्डा द्वारा पंचायत चुनाव, 2010 में मुखिया पद के लिए लड़ा गया।
2. अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पुष्ट हो कि चुनाव लड़ने की सूचना विधिवत विभाग को दी गई हो।

3. स्पष्ट है कि लाभ के पद पर रहते हुए पंचायत चुनाव लड़ना पंचायत चुनाव नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।

4. ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच के क्रम में अपीलार्थी रेणुका देवी दिनांक 20.04.2017 एवं 09.06.2017 को अनुपस्थित पाई गई तथा उनके द्वारा कार्यो में लापरवाही बरतने का मामला प्रकाश में आया।

—:आदेश:—

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब/पक्ष तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी के प्रतिवेदन के आलोक में अपीलार्थी रेणुका देवी, सहायिका, ऑगनबाड़ी केन्द्र गोठवारटांड, पंचायत—रोशनाटुण्डा के अपील को खारीज किया जाता है। पारित आदेश से अपीलार्थी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, डुमरी को अवगत करा दिया जाय। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संषोधित।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।